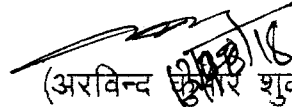


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक C/3592 / आदेश / / जबलपुर, दिनांक 14/08/2018
दो-14-62/17

श्री राकेश कुमार रजक, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर "जिन्हें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/949/दो-14-62/17, जबलपुर दिनांक 20.02.2018 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(पांच) के अंतर्गत उनकी आगामी देय एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करते हुए (With Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया गया था," के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 06.06.2018 को स्वीकार करते हुये पूर्व अधिरोपित शास्ति को कम करते हुये एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित (Without Cumulative effect) करते हुये रोकी जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

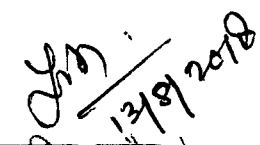

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3593 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 14/08/2018

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.
2. रजिस्ट्रार प्रशा/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. रजिस्ट्रार न्यायिक-1 महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. सहायक स्था./अवकाश/सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
- 10- श्री राकेश कुमार रजक, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(जाकिर हुसैन)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)
for

